

फर्द अहकाम

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

(नियम-26)

अदालत

बालोतरा

बमुकाम

चमराम

बनाम शंकराम

किस्म मुकदमा

U/S 131, 136 RLR

नं. 328A सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-12-21	<p>विवाही गण की कौर से वकील श्री पेमराज प्रवार ने जमाना - पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रशासन गांवों के संगे कमिपान केम्प कोई गोल सौदा में ग्राम जेम्स वजावास के कसरा नम्बर 173/22 रकबा 50 बीला व ख. नं. 22 रकबा 44-02 बीला व ख. नं. 174/22 रकबा 40-00 बीला रूक के तस्मीम हुकमी का इन्वेन्शन खसुर किया गया जिसमें शंकराम पदकार का निधन दिनांक 06-11-2021 को हो चुका था जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी यह तस्मीम हुकमी फरसई गई है।</p>	

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा



विद्यार्थी
को

उक्त उपाय में आदेश दिनांक 13.12.21
को हटाकर कर पूर्व की तरतीम
को स्थिति को यथावत रखे जाने
का निर्देश किया गया।

हमने पत्रावली का डवलोकन किया
गया, बाद डवलोकन यह पाया गया
कि विद्यार्थीगण के द्वारा उत्तर मूल्या
उत्पादन-पत्र प्रकाशन में डाउनलोड की
दि 6-11-2021 को मूल्या के पुकी
थी, ऐसी स्थिति में दि 13.12.2021
को पारित निर्णय को विधि सम्मत
नहीं है, प्रार्थीगण के द्वारा गलत
तथ्य प्रेश कर तरतीम डुमली
कराई गई है, जो पुरानी तरतीम
को उल्लंघित तरतीम डुमली को
जाना व्यापारित नहीं होने के
दर-पापालक के द्वारा दिनांक
13.12.2021 को पारित तरतीम
डुमली का आदेश को हटाकर
किया जाता है। तरतीमदाए पत्रावली
पूर्व की तरतीम यथावत रखे। पत्रावली
केवल सुका मेकल नमूदा है कतले।

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

निर्दिष्ट काल दि. 28.12.2021

को खुले व्यापार के हुकाम

गता

(~~महा~~ सीपी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

1 PR